


183 RTA

नारायण १/५ जेठमल

31/14

26/11/24

पत्रावली पेश हुई। बाकी एवं वादी आधीवर्ग  
 उपस्थित नहीं। बाकी एवं वादी आधीवर्ग को  
 नियमानुसार तीन बार आवाजे लगावाई गई, परंतु  
 कोई उपस्थित नहीं आया। समय 5:50 PM हो  
 चुका है। बाकी एवं वादी आधीवर्ग को न्यायालय  
 में पुनः एक बार आवाज लगावाई गई, परंतु  
 कोई उपस्थित नहीं आया। बाकी एवं वादी आधी-  
 वं न्यायालय में उपस्थित नहीं आने से वादी  
 द्वारा उच्चतम वाद अन्तर्गत धारा 183 शवाधान  
 कर्तव्यकारी आधीवर्ग को अदम ठाण्ठी अदम  
 पैरवी में खारिज किया जाता है। निष्पत्ति से  
 शवाधान पुनर्जा गया। रिक्ती पत्र जारी है।  
 पत्रावली जैसल शुमार लेकर जाद्विल जाकर  
 हो तदा नम्बर से कम है।

  
 26/11/24  
 सहायक क्लर्क  
 भीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

**न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा**

पीठासीन अधिकारी-अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. नारायण पिता कजोड़ माली उम्र वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. जेठमल पिता प्यारचन्द माली उम्र वयस्क निवासी सेठिया चौक हथाई, पुर, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. पूरणमल पिता प्यारचन्द माली उम्र वयस्क निवासी सेठिया चौक हथाई, पुर, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

**वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

प्रकरण संख्या 31/2014 राजस्व वाद

वादी स्वयं एवं वादी अधिवक्ता श्री मुरलीधर व्यास उपस्थित नहीं - इस वाद में आज तारीख 26.11.2024 को पीठासीन अधिकारी अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निप्रटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है-

वादी एवं वादी अधिवक्ता के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने से वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

  
26/11/24  
**सहायक कलक्टर जैन**  
**भीलवाड़ा**  
भीलवाड़ा